



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ701( )पंरावि/प्रशा.2/क.अ./स्थाना./रिट संख्या 14934/18 बहा.सिं./2018/ 4174  
जयपुर, दिनांक :- 4.10.18

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ701( )पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि./स्थाना.पद./18/3176 दिनांक 12.7.18 (क्र.सं.43) द्वारा श्री बहादुर सिंह, सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति, बयाना (भरतपुर) का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति, जहाजपुर (भीलवाडा) में सहायक अभियन्ता के रिक्त पद पर किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री बहादुर सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा पत्नी के घुटना का ऑपरेशन होना है तथा प्रार्थी की पत्नी अक्सर बीमार रहती है, बच्चे दिल्ली एवं जयपुर में पढते हैं, वर्णित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 14934/2018 दायर की गई। उक्त रिट याचिका में माननीय न्यायालय ने दिनांक 20.7.18 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है :-

" In view of the above and on perusal of the materials available on record ; for the present, the petitioner is required to address a comprehensive representation detailing out his grievances along with documentary evidence as to ailment of his wife for he is treated to be suffered with B/L knee joint disease, for sympathetic consideration of her posting at the desired station; with to weeks hereinafter.

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order taking into consideration the facual matrix as detailed out hereinabove sympathetically. This exercise shall be undertaken by the respondents as expeditiously as possible; preferably within eight weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की अनुपालना में श्री बहादुर सिंह, सहायक अभियन्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति के अभ्यावेदन प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में उन्हें पंचायत समिति, बयाना में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित करने का अनुरोध किया है।

414

A.C.P. 25

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा उक्त रिट याचिका में श्री बहादुर सिंह, सहायक अभियन्ता की पत्नी के घुटनों की बीमारी को मध्यनजर रखते हुए स्थानान्तरण आदेश के संदर्भ में कन्सीडर करने के दिये निर्देशों के क्रम में श्री बहादुर सिंह, सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति, बयाना (भरतपुर) से पंचायत समिति, जहाजपुर (स्थानान्तरणाधीन) को पंचायत समिति, राजाखेडा (धौलपुर) में सहायक अभियन्ता (मनरेगा) के रिक्त पद पर स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( दिनेश कुमार जांगिड )  
संयुक्त सचिव एवं  
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. जिला कलैक्टर, भरतपुर/भीलवाडा/धौलपुर ।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर/भीलवाडा/धौलपुर ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बयाना (भरतपुर)/जहाजपुर (भीलवाडा)/राजाखेडा(धौलपुर)
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री बहादुर सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति, बयाना (भरतपुर), 69, राजेन्द्रनगर, भरतपुर ।
9. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव एवं  
संयुक्त आयुक्त